स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-303/18 श्र0सं0- 157

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रम अधीक्षक, शिवहर।

पटना, दिनांक :- 5-3-19

विषयः- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड 26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3387 दिनांक 14.05.18 के आलोक में श्रम अधीक्षक, शिवहर के पत्रांक-120 दिनांक-20.2.19 के संदर्भ में ***विषयशीर्ष-0103.13.10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान*** से कुल **₹ *39,390/-(₹ उनचालीस हजार तीन सौ नब्बे) मात्र का आवंटन किया जाता है।***

2. यह आवंटन बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत जिला स्तर पर गठित धावा दल के लिए सघन निरीक्षण हेतु संविदा के आधार पर प्रति कार्यालय X 1200/-प्रतिदिन X 26 दिन (अधिकतम रू. 31,200/- मासिक) की दर पर किया गया है।

3. वाहन का उपभोग करने वाले पदाधिकारी एक लॉग बुक का संधारण करेगें तथा वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ है इस लॉग बुक में प्रतिदिन अंकित करेंगें। इस लॉग बुक के आधार पर ही वाहन पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता मासिक रूप से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें तथा वाहन का उपभोग अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही करेगें ।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

6. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।

8. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।

9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
05/03/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0- 157 पटना, दिनांक 5-3-19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05/03/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

8/

*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0- 157 पटना, दिनांक 5-3-19

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/****संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/*** प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

05/03/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।